कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 4108 भोपाल, दिनांक 14-9-23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना,
जिला पन्ना, मध्यप्रदेश।

विषयः–पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्रं. 8-37-2017-FC दिनांक 30.08.2023

––0––

विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से निर्देशित किया गया है, कि प्रकरण मे सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदाय किये 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण नेट प्रजेन्ट वैल्यू एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की गणना भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.व्ही की दरों पर की जाकर आवेदक विभाग से अन्तर की राशि आनलाईन कैम्पा मद मे जमा करवाई जावें।

प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र की श्रेणी ईको क्लास–3 व घनत्व 0.4 या कम का होने कारण NPV की गणना 6,26,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करते हुए पूर्व में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 26,71,53,638 /– एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 12,52,000 /– जमा कराई गई थी।

किन्तु भारत सरकार के निर्देश अनुसार संशोधित दर 9,57,780 प्रति हेक्टेयर से वनक्षेत्र की गणना करते हुए NPV की राशि रूपये 40,87,45,066 /– एवं दाण्डिक NPV की राशि रूपये 19,15,560 /– कैम्पा मद मे जमा करवाई जावें है।

अतः प्रकरण में लेख है, कि उपरोक्तानुसार NPV की अंतर की राशि रूपये 14,15,91,428 /– एवं दाण्डिक NPV की अंतर की राशि रूपये 6,63,560 /– आनलाईन कैम्पा मद में जमा कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

14.09.23
(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 4109 भोपाल, दिनांक 14-9-23

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छतरपुर वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सा0 दक्षिण / उत्तर वन मंडल पन्ना, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14.09.23
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-III).docx

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग–पवई, जिला–पन्ना (म. प्र.)

E-mail- eewrdivpawai@gmail.com *Telephone& Fax- 07733-299045*

क्रमांक / 2074 /कार्य/2022–23 पवई, दिनांक 06.10.2023

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
तुलसीनगर भोपाल (म. प्र.)

विषय :– **मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे. वनभूमि के भुगतान हेतु अन्य परियोजना में जमा अतिरिक्त राशि का समायोजन किए जाने एवं शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराये जाने वावत्।**

संदर्भ :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष– भू प्रबंध) वन भवन म. प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–3/45/2014/ 10–11/5/4108 भोपाल, दिनांक 14.09.2023**

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भूप्रबंध) भोपाल के द्वारा एन.पी.व्ही. की गणना 6,26,000.00 प्रति हे. की दर से नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रू. 26,71,53,638.00 एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की राशि रू. 12,52,000.00 जमा करने के पश्चात नवीन संशोधित दर 9,57,780.00 से एन.पी.व्ही. की राशि रू. 40,87,45,066.00 एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की राशि 19,15,560.00 का मांग पत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त मांग पत्र के अनुसार एन.पी.व्ही की राशि रू. 40,87,45,066.00 (–) जमा की गई राशि रू. 26,71,53,638.00 शेष राशि रू. 14,15,91,428.00 एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही की राशि 19,15,560.00 (–) जमा की गई राशि रू. 12,52,000.00 शेष राशि रू. 6,63,560.00 जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण वन मण्डल पन्ना द्वारा अपने पत्र क्र /मा.चि/2022/1765 पन्ना, दिनांक 22.11.2022 (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल की ओर लेख किया गया है कि पवई मध्यम सिंचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कुल जमा राशि रू. 217039289.00(–) में से राशि रू. 12,51,18,206.00 स्वीकृत राशि को घटाकर शेष अतिरिक्त राशि रू. 9,19,21,084.00 अन्य योजनाओं में समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल छतरपुर के पत्र क्र 547/कार्य/2022–23 छतरपुर दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से उक्त शेष राशि रू. 9,19,21,084.00 में से अमदर तालाब में जमा की जाने वाली नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1,52,43,100.00 समायोजन की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु मुख्य अभियंता, धसान केन कछार सागर की ओर लेख किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

उल्लेखनीय है कि मझगाय मध्यम परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले में पेयजल हेतु 21 एम.सी.एम. जल, जल निगम को आरक्षित किया गया है, जल निगम द्वारा पाईप लाईन का कार्य 90 प्रतिशत् पूर्ण किया जा चुका है आवंटन के आभाव में वन विभाग को नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि का भुगतान नही हो पा रहा है, जिस कारण वन विभाग की स्वीकृति अपेक्षित है जिस कारण बांध कार्य बॉधित है।

अतः कृपया मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना में एन.पी.व्ही. की कुल राशि 14,22,54,988.00 जमा किए जाने हेतु पवई मध्यम परियोजना में जमा अतिरिक्त राशि रू. 9,19,21,084.00 में से अमदर तालाब की राशि रू. 1,52,43,100.00 घटाकर शेष अतिरिक्त राशि रू. 7,66,77,984.00 जो वन विभाग के पास जमा है को समायोजित करते हुए शेष राशि 6,55,77,004.00 का आवंटन जारी किए जाने हेतु अनुरोध है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

(उमा गुप्ता)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पवई
जिला–पन्ना (म. प्र.)

पृ. क्रमांक /2075 /कार्य/2022–23 पवई, दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार जल संसाधन विभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल छतरपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

(उमा गुप्ता)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पवई
जिला–पन्ना (म. प्र.)